



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक-350/अकादमी/2022

भोपाल, दिनांक-24/07/2023

अधिसूचना

म0प्र0 उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र (कं 1168/144/2021/38-3 दिनांक 04.10.2022 /संलग्न) अनुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल एवं राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाडा की क्षेत्रीय अधिकारिता में म0प्र0 विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2022 द्वारा परिवर्तन किया गया है। म0प्र0 राजपत्र (कं 547 दिनांक 03.अक्टूबर 2022) के अनुकमांक "6" में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में जिला (भोपाल, सीहोर, रायसेन विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, हरदा) के साथ "बैतूल" जिले को भी सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव को विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 20.10.2022 में लिये गये निर्णय एवं मा. कुलपतिजी द्वारा 15(4) में प्रदत्त अधिकार अंतर्गत अनुमोदन उपरान्त बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की क्षेत्रीय अधिकारिता में सत्र 2023-24 से "बैतूल" जिले को भी सम्मिलित किया जाता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव,
भोपाल, दिनांक-24/07/2023

पृ.कमांक-351/अकादमी/2022
प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिश, बैतूल जिला की ओर सूचनार्थ पुलिस आयुक्त, बैतूल जिला की ओर सूचनार्थ ।
2. विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
6. उप-कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय की ओर सूचनार्थ ।
7. बेवसाईट प्रभारी इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की बेवसाईट पर प्रदर्शित करें।

कुलसचिव, अकादमी